



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1, 2017/आषाढ़ 10, 1939

No. 587]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1, 2017/ASADHA 10, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2017

सं. 2/2017-प्रतिपूर्ति उपकर

सा.का.नि. 820(अ).—माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15), की धारा 11 के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।

2. माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 का अनुकूलन.—(1) माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होगा बशर्ते कि निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे, यथा:—

(क) नियम 1 में,—

(i) शब्द और अंक "केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियमावली, 2017" के स्थान पर "माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर, नियमावली, 2017" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) नियम 3 से 7 को निरसित कर दिया जाएगा;

(ग) नियम 117 को 120 से निरसित कर दिया जाएगा

[फा. सं. एस-31011/31/2017-एसटी-II-डीओआर]

महेंद्र नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2017

No. 2/2017—Compensation Cess

G.S.R. 820(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12, read with section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to the States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

2. Adaptation of Central Goods and Services Tax Rules, 2017.—(1) The Central Goods and Services Tax Rules, 2017 shall, *mutatis mutandis*, apply, subject to the following modifications, namely:—

- (a) in rule 1,-
 - (i) for the words and figures “Central Goods and Services Tax Rules, 2017”, the words and figures, “Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017” shall be substituted;
- (b) rules 3 to 7 shall be omitted;
- (c) rules 117 to 120 shall be omitted.

[F. No. S-31011/31/2017-ST-II-DOR]

MAHENDRA NATH, Under Secy.